

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 26-11-2025

विषय सूची

- » असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025
- » तमिलनाडु में पुलिस बल के प्रमुख के चयन पर विवाद
- » अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है: विदेश मंत्रालय
- » भारत में अनुसंधान में धोखाधड़ी की महामारी

संक्षिप्त समाचार

- » संविधान दिवस
- » यूरेनियम विषाक्तता
- » डॉ. वर्गीज कुरियन
- » नई चेतना 4.0
- » सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल ने गोवा से टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने को कहा
- » जलवायु परिवर्तन का चाय बागानों पर प्रभाव
- » क्यूबा गार
- » सामाजिक परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट राइज़ पहल
- » सेना अग्निवीर रिक्रियों को वार्षिक 1 लाख तक बढ़ाने की तैयारी में
- » ऑपरेशन पवन

असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025

संदर्भ

- हाल ही में असम सरकार ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक, 2025 को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य बहुविवाह को अपराध घोषित करना है।

विधेयक के मुख्य प्रावधान

- अधिकार क्षेत्र और लागू होने की सीमा:** यदि यह विधेयक कानून बनता है, तो यह पूरे असम में लागू होगा, अपवादस्वरूप छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों (बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र और दीमा हसाओ, करीमगंज और पश्चिम करीमगंज के पहाड़ी जिले) तथा अनुच्छेद 342 के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर, जिन्हें बहुविवाह की अनुमति देने वाले प्रथागत कानूनों द्वारा शासित किया जाता है।
 - विधेयक असम की सीमाओं से बाहर भी लागू होगा, जिसमें शामिल हैं:
 - असम के निवासी जो राज्य से बाहर बहुविवाह करते हैं।
 - गैर-निवासी जो असम में संपत्ति रखते हैं या राज्य की योजनाओं/सब्सिडी से लाभान्वित होते हैं।
- दंड और सजाएँ:** विधेयक में प्रावधान है:
 - बहुविवाह करने पर अधिकतम 7 वर्ष की कैद और जुर्माना।

- वर्तमान विवाह को छिपाकर दूसरा विवाह करने पर अधिकतम 10 वर्ष की कैद।
- पुनरावृत्ति करने वालों के लिए दोगुनी सजा।
- धार्मिक अधिकारियों के लिए दंड:** जो मौलवी या पुजारी जानबूझकर बहुविवाह कराते हैं, उन्हें ₹1.5 लाख तक का जुर्माना और कैद हो सकती है। इसी तरह अन्य सहयोगियों पर भी समान दंड लागू होगा।
 - इसके अतिरिक्त, विधेयक ग्राम प्रधानों, क्राजियों (मुस्लिम मौलवी), और माता-पिता/अभिभावकों को भी शामिल करता है जो ऐसे विवाह में सहायता करते हैं या उन्हें छिपाते हैं। उन्हें अधिकतम 2 वर्ष की कैद और ₹1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
- सुरक्षा उपाय और अपवाद:** विधेयक पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा — इसके लागू होने से पहले वैध व्यक्तिगत या प्रथागत कानूनों के अंतर्गत किए गए विवाह अप्रभावित रहेंगे।
 - पुलिस अधिकारियों को प्रतिबंधित विवाहों को रोकने के लिए सक्रिय हस्तक्षेप का अधिकार दिया गया है।
 - एक नामित प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है जो बहुविवाह से प्रभावित महिलाओं के लिए मुआवजे के दावों को प्रक्रिया में लाएगा ताकि पीड़ितों को समर्थन और न्याय मिल सके।

भारत में बहुविवाह: ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

- बहुविवाह का अर्थ है एक ही समय में एक से अधिक जीवनसाथी होना।
- स्वतंत्रता-पूर्व भारत:** बहुविवाह विभिन्न समुदायों में प्रचलित था, जिसे प्रायः धार्मिक या प्रथागत मान्यताओं के आधार पर उचित ठहराया जाता था।
 - हिंदू विवाह अधिनियम, 1955:** इसने हिंदुओं, बौद्धों, जैनों और सिखों के लिए एकपत्नीवाद अनिवार्य कर दिया।
 - अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि विवाह तभी वैध होगा जब विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवनसाथी जीवित न हो।
 - विशेष विवाह अधिनियम, 1954:** यह अंतरधार्मिक नागरिक विवाहों पर लागू होता है और इसमें भी एकपत्नीवाद अनिवार्य है, जिससे राज्य की व्यक्तिगत अधिकारों को धार्मिक परंपराओं से ऊपर रखने की प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है।
- वर्तमान कानूनी परिदृश्य:** भारत में समान नागरिक संहिता (UCC) नहीं है, और विभिन्न धार्मिक समूहों के विवाह प्रथाओं को उनके व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नियंत्रित किया जाता है:
 - मुस्लिम व्यक्तिगत कानून (शरीयत):** मुस्लिम पुरुषों को अधिकतम चार पत्नियाँ रखने की अनुमति है, बशर्ते वे उनके साथ न्यायपूर्ण और समान व्यवहार करें। हालाँकि, इस प्रथा पर बढ़ती हुई आलोचना हो रही है, विशेषकर 2017 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तीन तलाक को अमान्य घोषित करने के बाद।
 - ईसाई और पारसी कानून:** दोनों समुदाय अपने-अपने विवाह कानूनों द्वारा शासित हैं, जो बहुविवाह को प्रतिबंधित करते हैं।
 - जनजातीय और प्रथागत कानून:** कुछ जनजातीय समुदाय अभी भी प्रथागत परंपराओं के अंतर्गत बहुविवाह को मान्यता देते हैं, हालाँकि इन्हें बढ़ते हुए चुनौती दी जा रही है।

तमिलनाडु में पुलिस बल के प्रमुख के चयन पर विवाद

संदर्भ


- तमिलनाडु नियमित पुलिस महानिदेशक/पुलिस बल प्रमुख (DGP/HoPF) की नियुक्ति को लेकर विवाद के बीच आ गया है।

परिचय

- हाल के वर्षों में प्रथम बार राज्य समय पर नियमित पुलिस प्रमुख की नियुक्ति करने में असमर्थ रहा, ताकि सेवानिवृत्त हो रहे DGP का उत्तराधिकारी नियुक्त किया जा सके।
- संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने राज्य द्वारा भेजी गई सूची से तीन वरिष्ठ DGP-रैंक अधिकारियों का पैनल अंतिम रूप दिया था, लेकिन तमिलनाडु सरकार ने उस पैनल को अस्वीकार कर दिया।
- एक याचिकाकर्ता ने राज्य के विरुद्ध मामला दर्ज किया, आरोप लगाते हुए कि राज्य ने जानबूझकर कार्यवाहक DGP की नियुक्ति की और पैनल से उम्मीदवार की नियुक्ति रोक दी।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य से तीन सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है।

राज्य पुलिस पर पर्यवेक्षण

- पुलिस संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य विषय है, और मुख्य रूप से राज्य सरकारें ही राज्य पुलिस बलों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करती हैं।
- जिला स्तर पर, जिला मजिस्ट्रेट (DM) भी SP को निर्देश दे सकते हैं और पुलिस प्रशासन की देखरेख कर सकते हैं।
 - इसे द्वैध नियंत्रण प्रणाली कहा जाता है (क्योंकि अधिकार DM और SP दोनों में निहित होता है) जिला स्तर पर।
- हालाँकि शहरी क्षेत्रों में, जटिल कानून-व्यवस्था की स्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की सुविधा के लिए द्वैध प्रणाली को आयुक्त प्रणाली से बदल दिया गया है।



भर्ती

- राज्य सरकारें सीधे कांस्टेबल, सब-इंस्पेक्टर और डिप्टी SP के पदों पर पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए उत्तरदायी होती हैं।
- केंद्र सरकार भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों की भर्ती सहायक SP के पद पर करती है। IPS संविधान के अंतर्गत बनाई गई एक अखिल भारतीय सेवा है।

- अन्य पदों पर रिक्तियाँ (साथ ही सब-इंस्पेक्टर और सहायक/डिप्टी SP के पदों पर) पदोन्नति के माध्यम से भरी जा सकती हैं।
- **राज्य DGP की नियुक्ति के लिए सिंगल-विंडो प्रणाली:** केंद्र सरकार ने राज्य पुलिस महानिदेशक/पुलिस बल प्रमुख की नियुक्ति के लिए सिंगल विंडो प्रणाली अधिसूचित की है।
 - ▲ नई नीति 22 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हुई है, जो इस पृष्ठभूमि में आई कि कई राज्यों ने प्रकाश सिंह मामले (2006) में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया था।
- **विशेषताएँ:**
 - ▲ राज्य प्रस्तावों के लिए विस्तृत चेकलिस्ट और मानकीकृत प्रारूप।
 - ▲ UPSC द्वारा त्वरित और सुगम पैनल तैयार करने का उद्देश्य।
 - ▲ **उत्तरदायित्व सुनिश्चित:** अब सचिव-स्तर का अधिकारी DGP-रैंक अधिकारियों की पात्रता और न्यूनतम कार्यकाल को प्रमाणित करेगा जिन्हें UPSC के लिए भेजा जाएगा।
 - ▲ UPSC पैनल समिति की अध्यक्षता इसके चेयरपर्सन करते हैं और इसमें संघ गृह सचिव, राज्य का मुख्य सचिव, संबंधित राज्य का DGP, और केंद्रीय पुलिस संगठनों/केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रमुखों में से एक अधिकारी शामिल होता है।
- **पात्रता शर्तें (SC और MHA के अनुसार):**
 - ▲ अधिकारियों के पास रिक्ति की तारीख से कम से कम 6 महीने की शेष सेवा होनी चाहिए।
 - ▲ प्रस्ताव UPSC को कम से कम 3 महीने पहले भेजे जाने चाहिए जब DGP/HoPF का पद रिक्त होने वाला हो।

प्रकाश सिंह निर्णय पर पुलिस सुधार

- 2006 में एक ऐतिहासिक निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस सुधार लागू करने का निर्देश दिया था।

- निर्णय में कई उपायों का उल्लेख किया गया था जिन्हें सरकारों द्वारा लागू किया जाना था ताकि पुलिस बिना राजनीतिक हस्तक्षेप की चिंता किए अपना कार्य कर सके।

SC निर्णय के अनुसार केंद्र और राज्यों को निर्देश:

- प्रत्येक राज्य में एक राज्य सुरक्षा आयोग का गठन करें जो पुलिस कार्यप्रणाली के लिए नीति बनाएगा, पुलिस प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा, और सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकारें पुलिस पर अनुचित प्रभाव न डालें।
- प्रत्येक राज्य में एक पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन करें जो डिप्टी SP से नीचे के अधिकारियों के लिए पदस्थापन, स्थानांतरण और पदोन्नति का निर्णय करेगा, तथा उच्चरैंक के अधिकारियों के लिए राज्य सरकार को सिफारिशें देगा।
- राज्य और जिला स्तर पर पुलिस शिकायत प्राधिकरण का गठन करें जो गंभीर कदाचार और पुलिस कर्मियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग के आरोपों की जांच करेगा।
- DGP और अन्य प्रमुख पुलिस अधिकारियों को कम से कम दो वर्षों का न्यूनतम कार्यकाल प्रदान करें ताकि उन्हें मनमाने स्थानांतरण और पदस्थापन से बचाया जा सके।
- सुनिश्चित करें कि राज्य पुलिस का DGP तीन वरिष्ठतम अधिकारियों में से नियुक्त किया जाए जिन्हें UPSC द्वारा सेवा अवधि, अच्छे रिकॉर्ड और अनुभव के आधार पर पदोन्नति के लिए पैनल में शामिल किया गया हो।
- जांच पुलिस को कानून-व्यवस्था पुलिस से अलग करें ताकि तेज़ जांच, बेहतर विशेषज्ञता और जनता के साथ बेहतर संबंध सुनिश्चित हो सके।
- केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने हेतु एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग का गठन करें।

निष्कर्ष

- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2nd ARC) ने बल दिया कि पुलिस सुधार सुशासन और कानून के शासन के लिए केंद्रीय महत्व रखते हैं।
- हालाँकि कुछ राज्यों ने उपाय अपनाए हैं, लेकिन कार्यान्वयन असमान बना हुआ है।

- 2006 में प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों ने भी इन सिफारिशों में से कई को शामिल किया था, लेकिन अनुपालन अब भी असंगत है।

Source: TH

अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है: विदेश मंत्रालय

संदर्भ

- विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।

परिचय

- हाल ही में, शंघाई हवाई अड्डे पर चीनी आब्रजन अधिकारियों ने एक भारतीय नागरिक को 18 घंटे तक हिरासत में रखा, यह कहते हुए कि उसका पासपोर्ट “अवैध” है क्योंकि उसका जन्मस्थान अरुणाचल प्रदेश है।
 - ▲ आब्रजन अधिकारियों ने उसका पासपोर्ट “अवैध” घोषित किया, यह कहते हुए कि अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं है।
 - ▲ MEA ने चीन की इस “मनमानी हिरासत” की कड़ी आलोचना की और इसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन मानकों, जिसमें शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन शामिल हैं, का उल्लंघन बताया।

अरुणाचल प्रदेश पर चीन का दावा

- अरुणाचल प्रदेश, जिसे 1972 तक उत्तर-पूर्व सीमांत एजेंसी (NEFA) कहा जाता था, उत्तर-पूर्व का सबसे बड़ा राज्य है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ उत्तर और उत्तर-पूर्व में चीन (तिब्बत), पश्चिम में भूटान और पूर्व में म्यांमार से लगती हैं।
- **चीन का दावा:** चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का भाग मानता है। इसका मुख्य ध्यान तवांग जिले पर है, जो अरुणाचल के उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है और भूटान तथा तिब्बत से सटा हुआ है।

चीन अरुणाचल प्रदेश पर दावा क्यों करता है?

- **तवांग मठ:** तवांग विश्व का तिब्बती बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मठ है।

- ▲ यह मठ मेराग लोद्रो ग्याम्त्सो द्वारा 1680-81 में पाँचवें दलाई लामा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया था।
- ▲ चीन का दावा है कि यह मठ इस बात का प्रमाण है कि यह जिला कभी तिब्बत का हिस्सा था।
- **सांस्कृतिक संबंध और चीन की चिंताएँ:** अरुणाचल के ऊपरी क्षेत्र में कुछ जनजातियाँ हैं जिनके सांस्कृतिक संबंध तिब्बत के लोगों से हैं।
 - ▲ चीन को भय है कि अरुणाचल में इन जातीय समूहों की उपस्थिति कभी लोकतंत्र समर्थक तिब्बती आंदोलन को उत्पन्न कर सकती है।
- **मैकमोन रेखा पर विवाद:** 1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश भारत और तिब्बत के बीच खींची गई मैकमोन रेखा अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा घोषित करती है।
 - ▲ चीन शिमला सम्मेलन को अस्वीकार करता है, यह कहते हुए कि तिब्बत को स्वतंत्र रूप से समझौते पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं था।

शिमला सम्मेलन 1914

- 1914 का शिमला सम्मेलन, जिसमें एक चीनी प्रतिनिधि और एक तिब्बती प्रतिनिधि समान स्तर पर शामिल थे, ने पूर्वी क्षेत्र में भारत और तिब्बत को अलग करने वाली मैकमोन रेखा को निर्धारित किया।
 - ▲ इसने भारत और तिब्बत के बीच सीमा की सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया।



- **दलाई लामा का पलायन:** जब 1959 में चीन की कार्रवाई के बीच दलाई लामा तिब्बत से भागे, तो वे तवांग के रास्ते भारत आए और कुछ समय तक तवांग मठ में रहे।
 - ▲ यह भारत और चीन के बीच विवाद का कारण रहा है।

- **रणनीतिक महत्व:** यह क्षेत्र तिब्बती पठार को देखता है और भारत को लाभकारी भू-भाग प्रदान करता है।
 - ▲ यह तिब्बत में चीन की प्रमुख सैन्य संपत्तियों के निकट है।
 - ▲ इस क्षेत्र पर नियंत्रण चीन को पूर्वी क्षेत्र में अपने बफर ज़ोन और सैन्य स्थिति को सुदृढ़ करने की अनुमति देगा।
- **भूटान कारक:** यदि चीन अरुणाचल पर नियंत्रण प्राप्त करता है, तो इसका अर्थ होगा कि भूटान साम्राज्य की पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर चीन पड़ोसी होगा।
- **सीमा वार्ता में राजनीतिक दबाव:** चीन प्रायः अरुणाचल प्रदेश पर अपने दावे का उपयोग अन्य क्षेत्रों, विशेषकर अक्साई चिन (पश्चिमी क्षेत्र) में रियायतें प्राप्त करने के लिए एक सौदेबाजी उपकरण के रूप में करता है, जिस पर उसका नियंत्रण है।

भारत का दृष्टिकोण

- **अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है:** भारत ऐतिहासिक, कानूनी और प्रशासनिक निरंतरता के आधार पर अरुणाचल प्रदेश पर पूर्ण संप्रभुता जताता है।
 - ▲ अरुणाचल प्रदेश के लोगों ने भारतीय संविधान के भीतर लोकतांत्रिक रूप से सरकारें चुनी हैं।
- **मैकमोन रेखा कानूनी सीमा है:** भारत 1914 की मैकमोन रेखा को आधिकारिक और वैध सीमा मानता है।
- **चीन के दावे निराधार हैं:** सरकारी वक्तव्य लगातार रेखांकित करते हैं कि काल्पनिक नाम देना या स्टेपलड वीज़ा जारी करना वास्तविकता को नहीं बदलता।
- **प्रभावी नियंत्रण का प्रमाण:** भारत ने स्वतंत्रता के पश्चात से इस क्षेत्र का निरंतर प्रशासन किया है — शासन, चुनाव, न्यायपालिका, विकास योजनाएँ और सशस्त्र बलों की उपस्थिति।
 - ▲ अरुणाचल के लोग सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से भारत से जुड़ाव रखते हैं।
- **अरुणाचल में विकास और बुनियादी ढाँचा जारी रहेगा:** भारत चीन की आपत्तियों को खारिज करता है।
 - ▲ भारत का मानना है कि भारतीय क्षेत्र का विकास भारत का आंतरिक मामला है।

आगे की राह

- भारत ने अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी में 11,000 मेगावाट (MW) की अपनी सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना शुरू की है।
- यह जलविद्युत परियोजना चीन द्वारा बनाए जा रहे बाँधों से जल प्रवाह मोड़ने के संभावित प्रभाव का सामना करने के लिए एक रणनीतिक कदम माना जाता है।
- अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त और स्वीकार की गई है।
- भारत ने बार-बार चीन के क्षेत्रीय दावों को खारिज किया है और यह दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश देश का अभिन्न हिस्सा है।

Source: IE

भारत में अनुसंधान में धोखाधड़ी की महामारी

समाचार में

- अनुसंधान धोखाधड़ी एक वैश्विक समस्या है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) के बढ़ते उपयोग के कारण यह अधिक गंभीर हो गई है।

वर्तमान परिदृश्य

- वैश्विक स्तर पर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपकरणों के दुरुपयोग से अनुसंधान धोखाधड़ी बढ़ी है, जिससे नकली शोध पत्र तैयार करना आसान हो गया है।
- भारत उच्च शिक्षा में प्रणालीगत दबावों के कारण विशेष रूप से गंभीर संकट का सामना कर रहा है।
- भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र, जिसमें 40 मिलियन से अधिक छात्र नामांकित हैं, संस्थागत और करियर दबावों के कारण संदिग्ध प्रकाशनों में वृद्धि देख रहा है।

कारण

- संकाय पदोन्नति और करियर उन्नति शिक्षण गुणवत्ता के बजाय प्रकाशन संख्या से जुड़ी हुई है।
- राष्ट्रीय और वैश्विक रैंकिंग शोध उत्पादन को पुरस्कृत करती हैं, जिससे संस्थान संकाय को किसी भी कीमत पर प्रकाशित करने के लिए प्रेरित करते हैं।

- कई कॉलेजों में पर्याप्त प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, धन और शोध-सक्षम संकाय की कमी है, जिससे वास्तविक अनुसंधान कठिन हो जाता है।
- व्यापक विश्वास के बावजूद, साक्ष्य दृढ़ता से यह समर्थन नहीं करते कि अनुसंधान शिक्षण परिणामों में सुधार करता है।

प्रभाव

- धोखाधड़ीपूर्ण प्रकाशन वैश्विक स्तर पर भारतीय अनुसंधान में विश्वास को कमजोर करते हैं।
- 80% छात्र स्नातक स्तर के होने के कारण, शिक्षण की उपेक्षा सीखने के परिणामों को कमजोर करती है।
- भारत के विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय सहयोगों में विश्वसनीयता खोने के जोखिम में हैं।
- संसाधन वास्तविक नवाचार के बजाय धोखाधड़ीपूर्ण प्रकाशन की ओर स्थानांतरित किए जाते हैं।

सरकारी कदम

- UGC अकादमिक प्रदर्शन संकेतक (API) 2010 में प्रस्तुत किया गया, इसने पदोन्नति में प्रकाशन पूर्वाग्रह को सुदृढ़ किया।
- संशोधन किए गए हैं, लेकिन प्रकाशन पर ध्यान बना हुआ है।
- 2025 UGC मसौदा विनियम प्रकाशन संख्या जैसी मात्रात्मक मीट्रिक पर निर्भरता को कम करने और शैक्षणिक मानकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का लक्ष्य रखते हैं।
- गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के विस्तार पर नीति आयोग की रिपोर्ट शासन, वित्तपोषण और रोजगार सुधारों पर बल देती है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय बुनियादी ढाँचा बनाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और अकादमी-उद्योग अंतर को समाप्त करने के प्रयासों को उजागर करता है।

आगे की राह

- भारत का अनुसंधान धोखाधड़ी संकट गलत प्रोत्साहनों और कमजोर बुनियादी ढाँचे से उत्पन्न होता है, जिसके लिए शैक्षणिक अखंडता को पुनर्स्थापित करने हेतु प्रणालीगत सुधारों की आवश्यकता है।

- इसलिए, विशेष रूप से स्नातक छात्रों के लिए शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने, अनुसंधान विश्वविद्यालयों और शिक्षण कॉलेजों के बीच अंतर करने वाली संदर्भ-संवेदनशील नीतियों को अपनाने तथा धोखाधड़ीपूर्ण प्रकाशनों को रोकने के लिए निगरानी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।
- संस्थानों को गुणवत्ता को मात्रा से ऊपर पुरस्कृत करना चाहिए, बुनियादी ढाँचे और संकाय प्रशिक्षण में निवेश करना चाहिए, और विश्व स्तर की सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित होना चाहिए ताकि विश्वसनीयता को पुनर्निर्मित किया जा सके तथा वास्तविक ज्ञान सृजन सुनिश्चित किया जा सके।

Source :TH

संक्षिप्त समाचार

संविधान दिवस

समाचार में

- 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जा रहा है ताकि संविधान सभा (CA) द्वारा भारत के संविधान को अपनाने का स्मरण किया जा सके।

संविधान दिवस (संविधान दिवस, राष्ट्रीय विधि दिवस के बारे में)

अवलोकन:

- 2015 में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाएगा।
- यह दिन संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. बी. आर. अंबेडकर को श्रद्धांजलि स्वरूप मनाया गया।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि:

- 1934: संविधान सभा की मांग एम.एन. रॉय द्वारा की गई।
- 1940: ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को स्वीकार किया।
- 1946: 9 दिसंबर को संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर प्रथम सत्र आयोजित किया।

- 1949: 26 नवंबर को संविधान सभा ने अंततः भारत के संविधान को अपनाया।
- 1950: 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ।

संविधान सभा के प्रमुख तथ्य

- भारत का संविधान 2 वर्ष, 11 माह और 17 दिन में तैयार हुआ।
- डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
- डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे।
- जवाहरलाल नेहरू (प्रधानमंत्री) ने 13 दिसंबर 1946 को 'उद्देश्य प्रस्ताव' प्रस्तुत किया, जिसे बाद में 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया।
- संविधान सभा ने नई विधायिका बनने तक अस्थायी विधायिका के रूप में कार्य किया।

भारत के संविधान के बारे में संक्षेप में

- विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान (25 भाग और 12 अनुसूचियाँ)।
- भारत का संविधान टाइप या प्रिंट नहीं किया गया, बल्कि हस्तलिखित है और हीलियम से भरे केस में सुरक्षित रखा गया है।
- इसे शांतिनिकेतन के कलाकारों ने आचार्य नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में हस्तनिर्मित किया।
- संविधान का बड़ा हिस्सा भारत सरकार अधिनियम, 1935 से लिया गया।
- **मुख्य विशेषताएँ:** भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है, जो अपने नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है।
 - ▲ संसदीय प्रणाली, संघवाद, एकल नागरिकता, शक्तियों का पृथक्करण।
- **मुख्य संशोधन:**
 - ▲ **प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम (CAA):** नौवीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत आने वाले कानूनों को न्यायालयों में चुनौती नहीं दी जा सकती।

- ▲ **42वाँ संविधान संशोधन अधिनियम (CAA):** अनुच्छेद 51-ए (10 मौलिक कर्तव्य) जोड़ा गया, प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए, तथा नए DPSPs (अनुच्छेद 39, 39A, 43A, 48A) जोड़े गए।

Source: PIB

यूरेनियम विषाक्तता

समाचार में

- साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित एक नए अध्ययन ने बिहार के कई जिलों से एकत्रित स्तन दूध के नमूनों में यूरेनियम का पता लगाया है, जिससे शिशुओं के संपर्क को लेकर चिंता बढ़ गई है।

अध्ययन के मुख्य बिंदु

- इसने बिहार की एक प्रयोगशाला में ICP-MS (इंडक्टिवली-कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री) का उपयोग करके यूरेनियम (U-238) की सांद्रता को मापा।
- 40 माताओं से एकत्रित प्रत्येक स्तन दूध नमूने में यूरेनियम पाया गया, जिसमें सबसे अधिक सांद्रता कटिहार और खगड़िया में दर्ज की गई, जो 5.25 माइक्रोग्राम प्रति लीटर तक पहुँची।
- अनुमान है कि लगभग 70% स्तनपान करने वाले शिशुओं को इस संपर्क से संभावित गैर-कार्सिनोजेनिक (गैर-कैंसरकारी) स्वास्थ्य प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है, हालांकि कैंसर जोखिम का कोई प्रमाण नहीं मिला।

यूरेनियम-238 के बारे में

- यूरेनियम-238 (U-238) प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे प्रचुर समस्थानिक है, जो प्राकृतिक यूरेनियम का 99% से अधिक हिस्सा बनाता है।
- यह मृदा, चट्टानों, भूजल और यहाँ तक कि पीने योग्य जल में भी व्यापक रूप से पाया जाता है क्योंकि यह पृथ्वी की पपड़ी में उपस्थित है।
- इसकी रेडियोधर्मिता अपेक्षाकृत कम है क्योंकि इसका अर्ध-आयु बहुत लंबा है (लगभग 4.47 अरब वर्ष), इसलिए U-238 से प्राथमिक स्वास्थ्य जोखिम इसके

भारी धातु के रूप में रासायनिक विषाक्तता से उत्पन्न होता है, न कि इसके विकिरणीय प्रभावों से।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने रासायनिक विषाक्तता जोखिमों को रोकने के लिए पीने योग्य जल में यूरेनियम की सांद्रता की अस्थायी सुरक्षित सीमा 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर ($\mu\text{g/L}$) निर्धारित की है।

Source :BS

डॉ. वर्गीज कुरियन

समाचार में

- 26 नवंबर डॉ. वर्गीज कुरियन की जयंती के रूप में मनाया जाता है।

डॉ. वर्गीज कुरियन (1921-2012) के बारे में

- वे भारत की श्वेत क्रांति (White Revolution) के शिल्पकार थे और “श्वेत क्रांति के जनक” के रूप में सम्मानित किए जाते हैं।
- कोझिकोड, केरल में जन्मे, उन्होंने 1970 में ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया, जिसने भारत को दूध की कमी वाले देश से विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया।
- उन्होंने आनंद सहकारी मॉडल की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उदाहरण अमूल है, और यह पूरे भारत में डेयरी विकास के लिए एक आदर्श बना।
- उनके प्रयासों से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (NDDB) और इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद (IRMA) जैसी संस्थाओं की स्थापना हुई।
- डॉ. कुरियन ने 1979 में ‘धारा’ ब्रांड लॉन्च करके खाद्य तेल उद्योग में क्रांति ला दी।
- उनके योगदानों के लिए उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिला, जिनमें पद्म विभूषण, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एवं वर्ल्ड फूड प्राइज शामिल हैं।

Source: TH

नई चेतना 4.0

समाचार में

- केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘नई चेतना 4.0’ राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य

लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

परिचय

- यह एक माह लंबा अभियान है, जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
- नई चेतना 4.0 का उद्देश्य लैंगिक आधारित हिंसा के विरुद्ध सामुदायिक कार्रवाई को सुदृढ़ करना और ग्रामीण भारत में महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा एवं आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
- अभियान का फोकस सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने, महिलाओं को प्रमुख आर्थिक योगदानकर्ताओं के रूप में मान्यता देने तथा अवैतनिक देखभाल कार्य को साझा सामुदायिक जिम्मेदारी के माध्यम से संबोधित करने पर है।

Source: PIB

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल ने गोवा से टाइगर रिजर्व को अधिसूचित करने को कहा

समाचार में

- सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त केंद्रीय सशक्त समिति (CEC) ने हाल ही में गोवा में दो चरणों में टाइगर रिजर्व अधिसूचित करने की सिफारिश की है।

परिचय

- समिति ने कोटिगाओ वन्यजीव अभयारण्य और नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य को, जो कर्नाटक के काली टाइगर रिजर्व से लगे हुए हैं, टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव दिया है।
- यह सिफारिश भारत के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत टाइगर रिजर्व का नेटवर्क बढ़ाया जा रहा है।
- इनका प्रबंधन वैधानिक राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता पर्यावरण और वन मंत्री करते हैं।

- गोवा में टाइगर रिजर्व का निर्माण पश्चिमी घाट में बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने, जैव विविधता संरक्षण को बढ़ावा देने और क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन को समर्थन देने का लक्ष्य रखता है।
- वर्तमान में भारत में 58 टाइगर रिजर्व हैं, जिनमें नवीनतम मध्य प्रदेश का माधव टाइगर रिजर्व है।

Source: TH

जलवायु परिवर्तन का चाय बागानों पर प्रभाव

समाचार में

- जलवायु परिवर्तन असम की चाय उद्योग को प्रभावित कर रहा है। बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और नए कीटों के कारण उत्पादन, स्वाद एवं आजीविका पर खतरा मंडरा रहा है।

चाय की खेती

- भारत वैश्विक चाय उद्योग में एक महाशक्ति है, जो विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता तथा तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
- भारत के प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र असम (विशेष रूप से असम घाटी और कछार), पश्चिम बंगाल (डुआर्स, तराई और दार्जिलिंग), तमिलनाडु और केरल हैं, जो मिलकर देश के कुल चाय उत्पादन का लगभग 96% हिस्सा देते हैं।
- बड़े पैमाने पर उत्पादन के बावजूद, इस चाय का लगभग 80% घरेलू स्तर पर ही उपभोग किया जाता है।

चाय का पौधा

- उष्णकटिबंधीय और उप-उष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह पनपता है।
- इसके लिए आदर्श तापमान 20°–30°C के बीच होता है और वार्षिक 150 से 300 सेंटीमीटर तक समान रूप से वितरित वर्षा की आवश्यकता होती है।
- यह पौधा हल्की अम्लीय, कैल्शियम-रहित मृदा में सबसे अच्छा उगता है, जिसमें जल निकासी के लिए छिद्रयुक्त उप-मृदा होती है।

भारतीय चाय बोर्ड

- चाय बोर्ड की स्थापना 1953 के चाय अधिनियम के तहत की गई थी और यह उद्योग को समर्थन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- यह वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है और इसके अंतरराष्ट्रीय कार्यालय लंदन, दुबई और मॉस्को में स्थित हैं।
- चाय बोर्ड गुणवत्ता युक्त खेती, उत्पादन और विपणन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, जिससे भारतीय चाय वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके।

Source: TH

क्यूबा गार

समाचार में

- क्यूबा के ज़ापाटा दलदल में जीवविज्ञानी एंड्रस हर्टाडो क्यूबन गार को बचाने के लिए पुनर्स्थापन प्रयास का नेतृत्व कर रहे हैं।

क्यूबन गार (एट्रेक्टोस्टियस ट्रिस्टोइकस)

- इसे मंजुआरी भी कहा जाता है और यह क्यूबा में स्थानिक (endemic) है, जहाँ यह पश्चिमी मुख्यभूमि की जल निकासी एवं संभवतः आइल ऑफ यूथ तक सीमित है।
- **आवास :** यह तटीय नदियों, दलदलों, ज्वारीय भूमि, चैनलों और झीलों में पाया जाता है, जिनकी विशेषता प्रचुर मात्रा में जलीय वनस्पति होती है। यह मुख्य रूप से मछलियों पर भोजन करता है।



- **खतरे:** आवास की हानि और परिवर्तन, शिकार प्रजातियों का अत्यधिक शिकार, तथा गैर-स्थानीय

प्रजातियों (जैसे Clarias gariepinus) की स्थापना इसके लगातार घटते अस्तित्व के प्रमुख कारण हैं।

- **संरक्षण स्थिति :** यह IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त (Critically Endangered) के रूप में सूचीबद्ध है।

Source :TH

सामाजिक परिवर्तन के लिए इम्पैक्ट राइज़ पहल

संदर्भ

- आईआईटी खड़गपुर ने इम्पैक्ट RISE (रिसर्च, इनोवेशन, स्किलिंग और एंटरप्रेन्योरशिप) की शुरुआत की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक एवं प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है।

परिचय

- इम्पैक्ट RISE पहल के चार स्तंभ होंगे – अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता।
- यह पहल सतत विकास लक्ष्यों और भारत की जलवायु एवं विकास प्राथमिकताओं के अनुरूप अनुसंधान को शामिल करेगी।
- इस पहल को निम्नलिखित मिशनों के माध्यम से सक्रिय किया जाएगा:
 - ▲ सुंदरबन में जलवायु लचीलापन;
 - ▲ आईआईटी खड़गपुर के एआई स्वास्थ्य निदान का उपयोग;
 - ▲ महिलाओं के स्वास्थ्य पर ध्यान, विशेषकर एनीमिया और मुख कैंसर की जांच हेतु कम लागत वाले उपकरणों का विकास;
 - ▲ सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने के लिए आर्सेनिक फिल्टर और स्मार्ट मृदा स्कैनर का उपयोग।

Source: IE

सेना अग्निवीर रिक्तियों को वार्षिक 1 लाख तक बढ़ाने की तैयारी में

संदर्भ

- लगभग 1.8 लाख सैनिकों की कमी को कम करने के प्रयास में, सेना वर्तमान 45,000-50,000 से बढ़ाकर

प्रत्येक वर्ष 1 लाख से अधिक अग्निवीर भर्ती रिक्तियों को बढ़ाने की योजना बना रही है।

अग्निपथ योजना

- इसे 2022 में शुरू किया गया था और इसे टूर ऑफ ड्यूटी योजना भी कहा जाता है।
- यह भारतीय सेना के लिए अल्पकालिक भर्ती योजना है।
- इस नीति के अंतर्गत सैनिकों — जिन्हें 'अग्निवीर' कहा जाता है — को चार वर्षों के लिए भर्ती किया जाता है, जिसके अंत में केवल 25% भर्ती किए गए उम्मीदवारों को नियमित सेवा के लिए 15 वर्षों तक रखा जाता है।
- **आयु सीमा:** 17.5 वर्ष से 21 वर्ष के बीच के उम्मीदवार अग्निपथ योजना में नामांकन के लिए पात्र हैं।
- यह योजना उन भारतीय युवाओं को अवसर प्रदान करती है जो देश की सेवा करना चाहते हैं, ताकि वे अल्प अवधि के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती हो सकें।
 - ▲ यह योजना सशस्त्र बलों की युवा प्रोफाइल को बढ़ाती है।

रिक्तियों को बढ़ाने के कारण

- **सैनिकों की कमी:** 2022 में अग्निपथ योजना के अंतर्गत सैनिकों की भर्ती शुरू होने के बावजूद, प्रत्येक वर्ष 60,000-65,000 सैनिक सेवानिवृत्त होते रहे।
 - ▲ इससे प्रत्येक वर्ष 20,000-25,000 की अतिरिक्त कमी जुड़ती गई।
 - ▲ वर्तमान में सैनिकों की कुल कमी लगभग 1.8 लाख है।
- **सेवानिवृत्त होते अग्निवीर:** 2026 के अंत से, कुछ प्रतिशत अग्निवीर भी सेवानिवृत्त होना शुरू करेंगे क्योंकि प्रथम बैच चार वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेगा।

Source: IE

ऑपरेशन पवन

संदर्भ

- थलसेना प्रमुख (COAS) जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन पवन (1987-1990) के दौरान श्रीलंका में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी।

परिचय

- ऑपरेशन पवन को 1987 में राजीव गांधी सरकार द्वारा भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुरू किया गया था।
- भारत ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना (IPKF) को तैनात किया था, जब देश में अल्पसंख्यक तमिल जनसंख्या और सिंहली-बहुल सरकार के बीच गृहयुद्ध चल रहा था।
- भारत निम्न कारणों से चिंतित था क्योंकि:
 - ▲ तमिलनाडु के साथ जातीय और सांस्कृतिक संबंध
 - ▲ बढ़ती हिंसा
 - ▲ भारत में शरणार्थियों का बढ़ता प्रवाह

क्या आप जानते हैं?

- श्रीलंका का गृहयुद्ध 18 मई 2009 को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम (LTTE) की हार के साथ समाप्त हुआ।
- भारत ने दशकों तक औपचारिक रूप से ऑपरेशन पवन की स्मृति नहीं मनाई थी, जबकि श्रीलंका कोलंबो में IPKF स्मारक बनाए रखता है।
- अब यह बदल गया है क्योंकि भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से इस अभियान के दौरान सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदानों को मान्यता दी है।

Source: TH

